## कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून। पत्रांक-3236/FP/UK/ROAD/11075/2015 :देहरादून:दिनांक: 27 मार्च, 2016

सेवा में,

अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन।

विषय:— जनपद—टिहरी गढ़वाल में लोस्तु घण्ड़ियालधार हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- शासन का पत्रांक 691/x-4-15/1(395)/2015 दिनांक 06-08-2015.

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे शासन द्वारा विषयाँकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :--

- 1. शर्त संख्या—1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रख—रखाव हेतु रू० 5,31,468.00 (रू० पॉच लाख इकतीस हजार चार सौ अड़सठ) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है।
- 2. शर्त संख्या—2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू 8,36,550.00 (रू आठ लाख छतीस हजार पॉच सौ पचास) मात्र एन0पी0वी0 की देय धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है।
- 3. शर्त संख्या—3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है, तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में कर दिया जायेगा। (संलग्नक—1)
- 4. शर्त संख्या—4 व 5 के अनुपालन में अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार देय धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिए गये डिमाण्ड नोट के आधार पर ऑन लाईन जमा की गयी है। (संलग्नक—2)
- 5. शर्त संख्या—6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू—वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपाल किया जायेगा। (संलग्नक—3)

- 6. शर्त संख्या—7 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख / प्रमाण—पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ ऑन लाईन कर दिए गये हैं, सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक—4)
- 7. शर्त संख्या—8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित सभी शर्तों का प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति / वन भूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक शासनादेश निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें। संलग्नः—यथोपरि।

भवदीय,

(एस०टी०एस० लेप्चा) प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या

/FP/UK/ROAD/11075/2015

दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1. जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी गढवाल।
- 2. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के पत्र संख्या—11—306/2014—एफ0सी0 दिनांक 08—08—2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त मोटर मार्ग के संरेखण में आने वाले वृक्षों के छपान/कटान एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमित निर्गत करने का कष्ट करें।
- 3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल।


(एस०टी०एस० लेप्चा) प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

पत्रांक:— २५७७ / १२ - १२ १००० दिनांक, मुनिकीरेती,

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इंदिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।



जनपद टिहरी गढवाल में लोस्तू घण्यालधार हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग के निर्माण हेत् 0.99 हे0 विषय :--वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेत् लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर मुख्यालय कीर्तिनगर का पत्र सन्दर्भ :--संख्या-446 / 33सी0 दिनांक 05-03-2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जिसकी प्रति आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है के कम में अवगत कराया जाता है कि विषयक मार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति जो वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-691 / X-4 / 15-1(395) 2015 दिनांक 06-08-2015 से जारी सशर्त सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा सन्दर्भित पत्र से मय संलग्नको के आपको प्रेषित की जा चुकी 81

अतः सन्दर्भित पत्र से प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुये विषयक मार्ग की विधिवत् स्वीकृति जारी करने हेत् अग्रिम कार्यवाही करना चाहे।

> प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर मुख्यालय-कीर्तिनगर को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राहुल)

प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

अन्या भारती



### कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग श्रीनगर म्0- कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070

E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

दिनांक 5 / 3 / 2016

पत्रांक 446 / 33 सी रावा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इंदिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

जनपद टिहरी गढ़वाल में लोस्तु घण्ड़ियालधार हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 हे0 विषय -वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेत् लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती का पत्रांक 881 / 12-1 दिनांक 21.10.2015 संदर्भ -

महोदय

3.

7.

8.

विषयवर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति वन एवं पर्यावरण अनुभाग–४ उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 691 / X-4 / 15-1(395) 2015 दिनांक 06.08.2015 द्वारा प्राप्त है। प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती के उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन में निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है।

शर्त सं0 1 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस-पास/मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर 1. वृक्षारोपण हेत् रुठ 531468.00 की धनराशि चालान द्वारा ऑन लाईन जमा की गई है। (चालान की प्रति

शर्त सं0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 836550.00 की धनराशि चालान द्वारा ऑन 2.

लाईन जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी यह वचन वद्धता प्रस्तृत करते हैं कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में

बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

शर्त सं0 4 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा दिये गये 4. ड़िमांड़ नोट के आधार पर वांछित धनराशि ऑन लाईन कर कारपोरेशनें, देहरादून में जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं० ५ के अनुपालन में आख्या उपरोक्तानुसार बिन्दु ४ के अनुसार। 5.

शर्त सं0 6 के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यवल की संस्तृतियों एवं भू-वैज्ञानिकों के 6. सुझावों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)

वनाधिकार अधिनियम २००६ के अन्तर्गत आवश्यक अभिब्लेख / प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव के साथ ऑन लईन कर

दिये गये थे स्ट्रिंग स्देन हते किया आत स्टान हो.

उपरोक्तानुसार निर्धारित सभी शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतू प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तृति

सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न -

चालान की प्रति।

Mechany.

Deponib (इं0) बी०पी० नौटियोल) अधिशासी अभियन्ता अ०५१० लॉक निर्माण विभाग श्रीनगर म्0- कीर्तिनगर

पत्रांक

/ 33 सी

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर गुनिकीरेती को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त पड़ने वाले वृक्षों छपान/कटान हेतू वन निगम को निर्देशित करने की कृपा करें जैसा किं पूर्व में भी आपसे इस कार्यालय के पत्रांक 2657 / 33सीं0 दिनांक 30.10.2015 द्वारा अनुरोध किया गया है?

संलग्न -चालान की प्रति।

> (इं0 बी०पी० नौटियाल) अधिशासी अभियन्ता अ०ख०,लोक निर्माण विभाग श्रीनगर म्0- कीर्तिनगर

परियोजना विवरण :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद दिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में लोस्तु-घण्डियाल से होन्दू रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि0मी०)

# एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

PIE

सहायक अभियन्ता

सहायक आमयन्ता अ0 ख0, लो0 नि0 वि0 हैं मु0 कीर्तिनगर ह0/-प्रयोक्ता एजेन्सी

Executive Englisher T.D. P.W.D. Srinagar H.Q. Kirtinagar

#### AGENCY COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date: 08-02-2016

Client Code.	CAM5089	
Location.	UTTARANCHAL	
Remitter Name.	PWD	
PIF/Application No.	ROAD110752015779	
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q KIRTINAGAR, TEHRI GAR Tehri Garhwal	
Remitter Contact No. Email Jd. Mobile No. Ländline No.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070	
Amount(in Rs)	1368018/- 60 666274	
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)	

Amount in Words:Thirteen Lakh Sixty-Eight Thousand and Eighteen Rupees Only

Demosipasignatgranage (Signature)


Bank's Transaction Number

Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
  Challan should only be accepted against
- INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional
- Information 1
  Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 22 273 33375

2 9 FEB 2016

CONFORATION BANK 79-78-pur Road, DEHRADUR



#### Transaction Acknowledgement

Thank you. Your payment has been successfully deposited with the following details. Please quote your transaction reference number for any queries relating to this request.

Proposal No FP/UK/ROAD/11075/2015

Application No ROAD110752015779

Proposal Name

Lostu Ghandiyal hoandu to ringoli

motor road

Category Road

Submission Date 30 Mar 2015

Area Applied 0.99

Transaction Status Transaction Successful

Transaction Reference

Number

43437

Transaction Date 02 Mar 2016

Payment Amount(in Rs.) 1368018/-

Bank Corporation Bank

Payment Mode Corporation Bank (Challan)

#### Funds Demand Details

Compensatory : Rs. 0/-

Additional

Compensatory : Rs. 0/-Afforestation

Penal Compensatory
Afforestation : Rs. 0/-

Catchment Area : Rs. 0/-

Safety Zone : Rs. 0/-

Additional Charges for protected area : Rs. 0/-

Net Present Value : Rs. 836550/-

RS. 836550/-

Afforestation in barren land on both side of : Rs. 531468/-

road/

Total Amount : Rs. 1368018/-

### मू—संरक्षण का प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :— जनपद टिहरी गढ़वाल में लोस्तु घण्ड़ियालघार हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मार्ग निर्माण के दौरान मू—वैज्ञानिक द्वारा बताये गये भू—संरक्षण के उपायों का अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर मु० कीर्तिनगर अधिशासी अभियन्ता अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर मु० कीर्तिनगर परियोजना विवरण :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद दिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में लोस्त्-घण्डियाल से होन्द्र रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि0मी0)

#### **Task Force Certificate**

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred. Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-
- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
- (iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
- (v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

PITE

सहायक/अभियन्ता Photo Copy Attestes 10 ख0, लोठ निठ विठ की 1% मृ0 कीर्तिनगर

百0/-प्रयोक्ता एजेन्सी

Executive English T.D. P.W.D. Srinagar H.Q. Kirtinagar

#### FORM-I

(For linear Projects)

#### Government of Uttarakhand Office of the District Collector Tehri Garhwal

No.

Dated ... 12/02/15.

#### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.99 hact. of forest land proposed to be deverted in favour of Public Works Department, Kirtiangar for Construction of Lostu-Ghandiyal-Hondu to Ringoli Motor Road in Tehri Garhwal District falls within jurisdiction of Hondu Villages in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

- a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire 0.99 hact. of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Photo Capy Attested

Signature

## OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Kirtinagar** Block area measuring **0.99** Hectare for the construction of **Lostu-Ghandiyal-Hondu to Ringoli Motor Road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place:-Tehri

SOUND TO THE THE THE THE THE THE

District Collector Cum chairman

trict Tehri Garhwal New Tehri टिहरी गढ़वाल

Assistant Engineer Temp. Div., P.W.D. Devprayag It is further certified that – Minutes of meeting of Lostu Ghandiyal-Hondu to Ringoli Motor Road (1.650 km.) regarding FRA is as following.

Sr.		Remarks
No.		*
		V .
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <b>0.99</b> hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

२। जीरवरी हारेशी जिला पंचायत सदस्य सदस्य जिल्ला पंचायत सदस्य

सदस्य जिला योजना समिति चिलेकी विद्यारगढ़ (टि० ग0) जिला समाज कल्याण अधिकारी

टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी

ह्यागीय वनाविकारी इसेन्द्रमगराञ्चन व्यक्ताम्मभाग

मुनि-की-रेढी मुनि की रेती(टिहरी गढ़वाल)

Assistant Engineer
Temp. Div., P.W.D.
Devprayag

Signature (युगल किशोर पन्त) (Yugal Kishor Pant) टिहरी गढ़वाल

Dt. 12/02/15


#### प्रारूप —1.90, भू—अर्जन प्रमाण—पत्र ग्राम पंचायत का नाम— रिंगोली मल्ली तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड़ कीर्तिनगर में लोस्तु—घण्डियाल—हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्वीकृति संदर्भः — <u>288 / लो०नि०-2 / 04-15 (प्रा०आ०) / 2004 दिनॉक 27 फरवरी 2004</u> जनपद टिहरी गढवाल में विकासखण्ड़—कीर्तिनगर के अन्तर्गत राज्य योजना से लोस्तु—घण्डियाल—हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

प्रखण्ड़ टिहरी गढवाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत लोस्तु—घण्डियाल—हौन्दू से रिगोली मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिए 0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.99 है0 सिविल सोयम वन भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि, (अर्थात् कुल—0.99 है0) का अस्थाई खण्ड़ लोक निर्माण विभाग—श्रीनगर,मुख्यालय—कीर्तिनगर प्रयोक्ता ऐजन्सी के पक्ष में भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकि नाप भूमि है0 ग्राम पंचायत—रिंगोली तल्ली के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है। कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बंधित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।



## परियोजना का नाम:- लास्तु- घण्डियाल - हीन्दू से रिगोली कोर फ्रांग,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

#### प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, फी। विनग्र १

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत- लास्त द्वारिड्याल- हीन्द्र से रिगोली कार कांग्र (— है0 आरक्षित वन भूमि, ०, ११ हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि — है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल ०, ११ हे0 वन भूमि ) का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रमांग) की दिनांक २२ ११२००० को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री शिनेन्द्र निहन्ती, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

	10 A) - C > A			
1-	श्री डिपेन्ट्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
2-	श्री	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3-	81 2015/ 17 18 4 9195M	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	11.
4-	शीभरो के मला डेवी कडार	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य	vu -

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मोटर मार्ग के लोस्त द्वार्वे याल हीन्द्र से रिगेलीमोटर मार्ग परियोजना हेतु ०.११ हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक विभाग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

53

सर्बंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वेजप्रया उपवन प्रभाग नरे दुनगर बनप्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अत प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत होन्द्र से रिभोली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु ०.९९ है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील – ३९४ था २१ जनपद १८६८ | २१६९७ ल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी.

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु।

जनपद रिट्री गढवाल

## परियोजना का नाग- लोस्त- छिन्ड्याल- हिन्ड् से रिगोली कोटर् कर्भ,

24|01|295 दिनाक <del>२२|०1|२०1</del>5 उपखण्ड रत्तरीय समिति की सम्पन्न बैढक की उपस्थिति ं जनपद- टिहरी गढवाल

1	शा डोपे द सिट ने भी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	10
2	श्री प्रदीप कुमार	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	जिय अस्मानिक वनाधिकारे
3.	श्री ८०५ और विहे-	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	रादरय / सचिव	My Arabida
4	श्रीभरी कमला हेबी	बी०डी०सी० क्षेत्र	रादरम	श्रामती कमला देवी क्षेत्र पंचायत सहस्य रिगोली मल्ली व रिगोली तल्ली

## परियोजना का नामः लीस्तु. छिडियाल - हीन्द्र से रिगोली कोर् कार्रा

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम - रिशो ली तल्ली तहसील जिला - रिशो ली शिंकाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र
उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड देवप्रयाग में टीन् दे िनिनीटर
मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु ( — हैo आरक्षित वन भूमि, — हेo सिविल सोयम भूमि हेo
वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल ० १९ हेo वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रिशे ते तेलते द्वारा दिनांक 21/11/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम टीन्ट्र के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ਵ0/-

नोट यदि किर्मा अभिद्रामि अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तक्ष्मिएर (टि उसका विवरण उक्त प्रपत्र में द्रिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति इस प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

## दिनांक 21/1/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैटक की उपस्थिति

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित व्ररिष्ठ/ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सोवन सिंह थे-छटा	Hart
2	२। पेक सिंह वेलेकार	21475
3	EIC LOT	ent just
4	पद विर	um Inte
5	Gene in	year the
7	25/2/2 148	DOM
8	523 ITE	425
9.	39 35	
	राजेंद्र तिह	2015
11-	मर्ग सिंह	93
	- जाननी देवी	
13	के भारता है औ	
14-	क्षेत्रवर्ग सिर्द	ama

ह0 / - ग्राम प्रधान

